HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 9412/2025

Sanjay Jain S/o Mahaveer Prasad Jain, Aged About 35 Years, R/o Agrasen Colony, Bargama Road, Hindaun City, Police Station Kotwali Hindaun City, District Karauli Rajasthan (At Present Confined In District Jail Hindaun City)

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through P.p.

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Girraj Prasad Sharma Ms. Sneha Gulati Ms. Nikita Sharma Ms. Shruti Chandgothia
For Respondent(s)	:	Mr. Amit Kumar Gupta, PP

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

26/02/2026

प्रार्थी की ओर से धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत पुलिस थाना हिण्डौन, जिला–करौली में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 177/2025 अपराध अन्तर्गत धारा 8/21, 8/22 स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 में जमानत का लाभ दिये जाने हेतु यह प्रार्थनापत्र पेश किया गया है।

बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–अभियुक्त का तर्क है कि उसे प्रकरण में मिथ्या संलिप्त किया गया है। प्रार्थी के आधिपत्य से बिना वैध अनुज्ञापत्र के कुछ दवाइयां बरामद होना व उनमें मादक पदार्थ होना बताया गया है। उनका तर्क है कि बरामद दवाइयों में मादक पदार्थ की क्या मात्रा थी, यह निर्धारित नहीं किया जा सकता है तथा प्रकरण में अभी विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट नहीं आई है। प्रार्थी दिनांक 29.04.2025 से अभिरक्षा में है तथा उसके विरूद्ध पूर्व का कोई आपराधिक प्रकरण संस्थित नहीं है। सहअभियुक्त विष्णु को जमानत पर मुक्त किया जा चुका है।

प्रकरण में आरोपपत्र प्रस्तुत हो चुका है, परन्तु विचारण अभी तक आरम्भ नहीं हुआ है। अतः अन्वीक्षा में समय लगेगा। अतः प्रार्थी को जमानत का लाभ प्रदान किया जावे।

इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक का तर्क है कि प्रार्थी–अभियुक्त के आधिपत्य से भारी मात्रा में ऐसी दवाइयां बरामद हुई हैं, जिनमें मादक पदार्थ मौजूद है, जिनकी मात्रा फर्द जब्ती में अंकित की गई है। इस प्रकार प्रकरण मादक पदार्थ की व्यावसायिक मात्रा से संबंधित है। अतः धारा 37 स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के प्रावधानों के अन्तर्गत उसे जमानत नहीं दी जा सकती है। उनका यह भी तर्क है कि प्रार्थी–अभियुक्त ने सहअभियुक्त विष्णु के खाते में राशि भी जमा करवाई है तथा उसकी सहअभियुक्त विष्णु से हुई बातचीत व chatting भी पत्रावली पर मौजूद है। अभियुक्त के विरूद्ध गम्भीर अपराध का अभियोग है। अतः अपराध की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

उक्त तर्कों का जवाब प्रस्तुत करते हुए अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रकट किया कि सहअभियुक्त विष्णु के खाते में कोई राशि नहीं आई है, जो सामग्री अभिलेख पर है, उसमें उसकी माता के खाते में राशि जाना बताया गया है।

प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया। केस डायरी का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थी–अभियुक्त के विरूद्ध धारा 8/21, 8/22 स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के अपराधों का अभियोग है। प्रार्थी–अभियुक्त के आधिपत्य से प्रतिबंधित नशीली दवाइयां Tramadol Hydrochloride 50 MG के 56,400 केप्सूल, Tramadol Hydrochloride I.P. 50 MG के 4,560 केप्सूल, Tramadol Hydrochloride I.P. 50 MG के 7,680 केप्सूल, Alprazolam I.P. 0.5 MG की 75,000 टेबलेट व Lorazepam I.P. 2 MG की 960 टेबलेट बरामद हुई हैं, जिनमें क्रमशः 2820 ग्राम, 228 ग्राम, 384 ग्राम, 37.5 ग्राम व 1.92 ग्राम मादक पदार्थ मौजूद था, जो इसकी वाणिज्यिक मात्रा है। इस प्रकार प्रार्थी–अभियुक्त के आधिपत्य से भारी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद हुआ है। प्रार्थी–अभियुक्त के पास उक्त मादक पदार्थ का कोई वैध अनुज्ञापत्र नहीं पाया गया है। प्रार्थी–अभियुक्त के विरूद्ध गम्भीर अपराधों का अभियोग है। उपर्युक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रार्थी–अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामस्वरूप प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

(SHUBHA MEHTA),J

VISHAL SHARMA /04